भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : †2993
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2026

तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए कौशल और आजीविका संबंधी कार्यक्रम

†2993. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक आजीविका और कौशल कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित और नियोजित लाभार्थियों की संख्या का तेलंगाना सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और नियोजन की दर कितनी है तथा प्राप्त की गई औसत आय कितनी है;

(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में नौकरी में बने रहने के लिए दीर्घकालिक ट्रैकिंग मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तेलंगाना में अल्पसंख्यक युवाओं के लिए बाजार-संबद्ध कौशल विकास और ऋण सहायता का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू करता है, जो पाँच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात् 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'USTTAD' और 'हमारी धरोहर' को समायोजित करती है तथा कौशल विकास; अल्पसंख्यक महिलाओं में उद्यमशीलता और नेतृत्व विकास; स्कूल ड्रॉपआउट्स छात्रों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। ये योजनाएँ तेलंगाना राज्य सहित देशभर में लागू की गई थीं। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-**I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): चल रही PM VIKAS योजना के अंतर्गत योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन भागीदारों के लिए सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि NSQF अनुरूप कौशल कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों में से कम से कम 75% को रोजगार मिले। इसके अतिरिक्त, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात् कम से कम 3 महीनों तक लाभार्थियों की पोस्ट-प्लेसमेंट निगरानी सुनिश्चित करें। इस योजना का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में ही शुरू हुआ है।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़कर उन्हें ऋण सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है।

*****

अनुबंध-I

“तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए कौशल और आजीविका संबंधी कार्यक्रम” विषय पर श्री अरविंद धर्मापुरी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 11.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2993 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की विभिन्न कौशल एवं प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या (योजनाओं की शुरुआत से अब तक)							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीखो और कमाओ		उस्ताद		नई मंज़िल		पीएम विकास
	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	413	235	-
आंध्र प्रदेश	15,958	11,981	360	63	826	522	-
अरुणाचल प्रदेश	1,164	767	-	-	820	240	-
असम	20,243	14,881	1,702	-	5,917	4,234	-
बिहार	38,681	13,652	544	2	9,220	6,308	-
चंडीगढ़	226	11	-	-	-		-
छत्तीसगढ़	3,338	1,825	89	-	2,039	1,350	-
दिल्ली	10,920	6,854	6	-	3,882	1,912	450
गोवा	480	450	-	-	413	210	-
गुजरात	12,701	8,393	90	69	2,957	1,655	-
हरियाणा	13,926	9,387	180	66	3,323	2,103	30
हिमाचल प्रदेश	3,301	2,152	295	-	968	589	-
जम्मू और कश्मीर	42,372	26,142	2,129	786	7,767	3,748	-
झारखंड	15,996	10,060	541	1	6,913	5,036	-
कर्नाटक	9,478	6,614	45	-	2,368	1,682	-
केरल	3,348	1,808	-	-	2,065	1,524	60
लद्दाख	3	-	-	-	-		-
मध्य प्रदेश	45,980	31,880	2,006	533	3,644	2,357	76
महाराष्ट्र	15,980	10,310	621	90	2,604	1,681	-
मणिपुर	3,848	2,970	745	-	1,383	281	-
मेघालय	2,477	1,784	90	73	2,353	931	-
मिजोरम	1,290	976	300	-	-		-
नागालैंड	1,348	1,161	-	-	826	107	-
ओडिशा	2,734	1,796	-	-	1,240	922	-
पुदुचेरी	104	85	-	-	-		-
पंजाब	31,230	18,704	579	-	7,171	3,976	150
राजस्थान	15,899	10,333	867	90	2,766	1,254	-
सिक्किम	1,449	990	-	-	-		-
तमिलनाडु	3,977	2,919	-	-	2,910	1,564	-

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की विभिन्न कौशल एवं प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या (योजनाओं की शुरुआत से अब तक)							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीखो और कमाओ		उस्ताद		नई मंज़िल		पीएम विकास
	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित
तेलंगाना	16,935	11,509	180	69	5,877	4,404	-
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2	2	-	-	-		-
त्रिपुरा	2,430	1,414	-	-	502		-
उत्तर प्रदेश	92,223	59,753	9,166	2,845	10,846	5,840	30
उत्तराखंड	5,652	4,184	-	-	969	790	-
पश्चिम बंगाल	32,477	23,161	1,076	259	5,730	3,424	-
कुल	**4,68,170**	**2,98,908**	**21,611**	**4,946**	**98,712**	**58,879**	**796**

*****